लेखा·योग

148. सांगठनिक अनुपात - 1

दिसंबर '09-जनवरी '10, दिसंबर '10 में जारी

Accountaid™
Accounting for Aid. Aid in Accounting

इस अंक में

वर्गीकरण • तरलता अनुपात • चालू अनुपात पृष्ठ 1
नकदी मियाद अनुपात • बैकअप फंड अनुपात • कर्ज भुगतान क्षमता अनुपात पृष्ठ 2
कुशलता अनुपात • अनुदान सदुपयोग अनुपात • किफायती अनुपात • कार्यक्रम व्यय अनुपात पृष्ठ 3
कार्मिक लागत अनुपात पृष्ठ 4

अनुपात विश्लेषण व्यावसायिक क्षेत्र में वित्तीय प्रबंधन का एक प्रचलित साधन है हालांकि लाभ निरपेक्ष क्षेत्र (एनपीओ) में इसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। इसका मुख्य कारण ये है कि इस क्षेत्र में व्यावसायिक अनुपात प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक नहीं होते। दूसरी तरफ यह भी सच है कि लाभ निरपेक्ष क्षेत्र के लिए अनुपात की व्यवस्था अभी बहुत विकसित या प्रचलित नहीं हो पाई है।

अनुपातों के प्रयोग से हमें अपनी आर्थिक स्थिति को और अच्छी तरह समझने में मदद मिलती है। इससे हमें अपने दाता संस्थानों, सहायकों व जनता के सामने अपनी आर्थिक जरूरतों व प्राथमिकताओं को ज्यादा प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में भी मदद मिलती है।

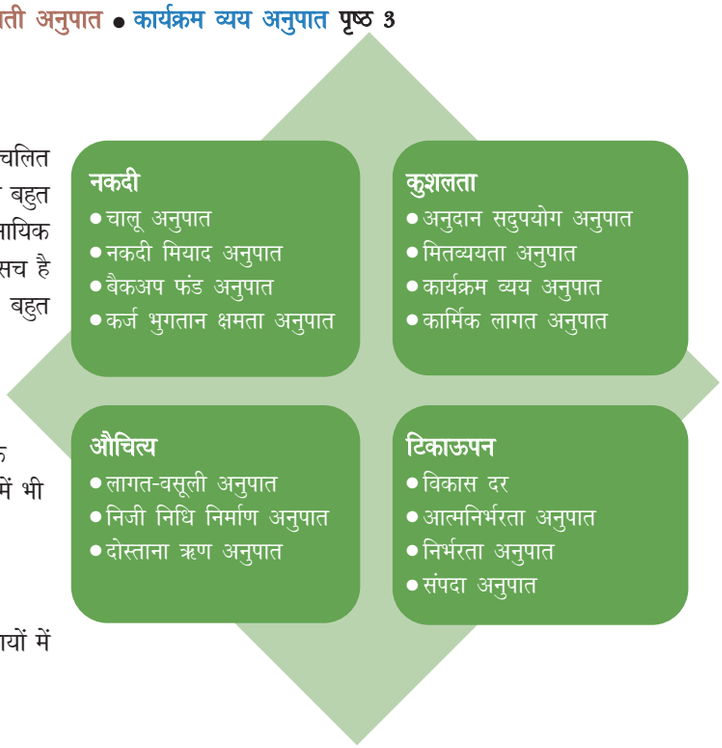

वर्गीकरण

एनपीओ संगठनों के संबंध में वित्तीय अनुपातों को दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. सांगठनिक अनुपात और
2. कार्यक्रम अनुपात

सांगठनिक अनुपातों में पूरे संगठन की आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है जबकि कार्यक्रम अनुपातों से अलग-अलग कार्यक्रमों को समझने और उनकी तुलना करने में मदद मिलती है।

सांगठनिक अनुपातों को कम से कम चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यह विभाजन इस आधार पर किया गया है कि किसी खास अनुपात से हमें क्या पता चल रहा है।

तरलता: क्या हमारे पास संगठन को सहज रूप से चलाने के लिए पर्याप्त धन है?

कुशलता: क्या संगठन कुलशतापूर्वक चल रहा है?

टिकाऊपन: क्या संगठन लंबे दौर में टिकाऊ है?

औचित्य: क्या संगठन का आर्थिक व्यवहार सही और नैतिक दृष्टि से स्वीकार्य है?

तरलता अनुपात

नकदी का संकट बहुत सारे एनपीओ संगठनों को अकसर झेलना पड़ता है। मुख्य रूप से ऐसा इसलिए होता है कि समय पर पैसा नहीं मिल पाता । पर्याप्त चालू पूंजी की कमी भी एक मुख्य कारक होती है। नकदी अनुपातों से हमें ये समझने में मदद मिल सकती है कि इस तरह की समस्याओं को हम कहां तक झेल सकते हैं। अगर हम इस बात को जान जाते हैं तो इस समस्या को बार-बार आने से रोक सकते हैं।

चालू अनुपात

चालू अनुपात से आपको इस बात का अंदाजा मिलता है कि आप अपनी अल्पकालिक देनदारियों को आसानी से निभा सकते हैं या नहीं। इस अनुपात में दो चीजों की तुलना की जाती है। इनमें से एक होती है चालू संपदाएं। इसमें नकद और ऐसी संपदाएं आती हैं जो अगले एक साल के भीतर नकद में तब्दील हो जाएंगी (अल्पकालिक जमा/निवेश, आगामी अनुदान, कर्जे और पेशगी, आदि)।

दूसरी चीज होती है चालू देनदारियां। इनमें ऐसी देनदारियां आती हैं जिनको अगले एक साल में चुकाया जाना है (मिश्रित ऋण, तनख्वाहें, लौटाए जाने वाले अनुदान, खर्चों की व्यवस्था, कर्जों की एक साल के भीतर बकाया किस्तें आदि)।

www.AccountAid.net

अगर आप खाते ठीक तरह से रखते हैं तो आप अपनी बैलेंसशीट में इन चीजों को आसानी से देख सकते हैं। जब आपके पास ये आंकड़े आ जाते हैं तो निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करें।

$$\text{चालू अनुपात} = \frac{\text{वर्तमान संपदाएं}}{\text{वर्तमान देनदारिया}}$$

लाभ-केंद्रित एवं सरकारी संगठनों में 2:1 के चालू अनुपात को ठीक-ठाक आर्थिक ताकत का संकेत माना जाता है। यही मूल्य मोटे तौर पर लाभ निरपेक्ष संगठनों के लिए भी सही है। अगर अनुपात 1.0 से कम है तो ये इस बात का संकेत है कि संगठन के पास चालू देनदारियों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त चालू संपदाएं नहीं हैं।

गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सामने एक और समस्या आती है। ये समस्या होती है चालू संपदाओं पर बंदिश की समस्या। मिसाल के तौर पर, एक परियोजना के पैसे को आप आसानी से किसी दूसरी परियोजना में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह भारतीय और विदेशी स्रोतों से मिले अनुदानों को भी एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लिहाजा, एफसीआरए और भारतीय अनुदान, दोनों के लिए अलग-अलग नकदी स्थिति का आकलनज्यादा बेहतर हो सकता है।

नकदी मियाद अनुपात

कल्पना कीजिए कि आपको नए अनुदान मिलने बंद हो गए हैं। अब आप अपने कार्यक्रम को सामान्य रूप से कितने दिन तक चला सकते हैं? यह आपको नकदी मियाद अनुपात से पता चलता है। इस अनुपात का हिसाब लगाने के लिए आपको यह जानना होता है कि आपके पास नकद और बैंक में जमा राशि कितनी है। इसके लिए आप बैंक जमाओं (जिन्हें आवश्यकता पर भुनाया जा सके) को जोड़कर भी हिसाब लगा सकते हैं। इसमें परियोजना पेशगी और वेतन भुगतानों को भी शामिल किया जा सकता है। अगर आपने कर्मचारियों को व्यक्तिगत पेशगी भुगतान किया है तो उनको इसमें नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस तरह आपके पास जो आंकड़ा आता है उसको आप अपने वार्षिक संचालन खर्चों से विभाजित करें (जो आय एवं व्यय लेखे में दिखाया गया होगा)। इसमें आपके कार्यक्रम संबंधी व्यय और प्रशासकीय व्यय शामिल होंगे लेकिन क्षरण (डैप्रीसियेशन) को शामिल नहीं किया जाएगा।

$$\text{नकदी मियाद अनुपातः} \frac{\text{(नकद + नकद समतुल्य)}}{\text{वार्षिक संचालन व्यय - क्षरण}} \times 365$$

आपके पास कितने दिन का नकद होना चाहिए? ये राशि अलग-अलग संगठनों के लिए अलग-अलग हो सकती है। लेकिन सामान्य रूप से किसी भी संगठन के पास कम से कम इतना नकद या बैंक बैलेंस होना चाहिए कि 90 दिन का काम आराम से चल जाए।

इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि यहां नकद का मतलब सिर्फ नोटों से नहीं है। नकद से हमारा आशय इस बात से है कि आपके पास रोकड़ और बैंक में जमा, दोनों राशियों का कुल योग कितना है।

बैकअप फंड अनुपात

अगर आपका नकद खत्म हो जाता है तो क्या होगा? ऐसे में आप शर्तरहित अनुदानों

से किए गए निवेशों और आरक्षित निधियों का सहारा ले सकते हैं। इस अनुपात से हमें पता चलता है कि इन आपातकालिक स्रोतों पर हम कितने दिन तक चल सकते हैं। इसका पता लगाने के लिए हमें ये देखना होता है कि आपात स्थिति में कितने निवेशों को भुनाया जा सकता है।

इस श्रेणी में म्युचुअल फंड निवेश, सरकारी प्रतिभूतियां, बांड आदि हो सकते हैं। बैंक में पड़े सावधि जमा को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इनको नकद समतुल्य के रूप में देखा जाता है। सामान्य रूप से इस श्रेणी में शर्तमुक्त अनुदानों में से किए गए निवेशों को लिया जाता है। अगर आपके पास नॉमिनल कॉर्पस[1] है तो इसमें से किए गए निवेशों को भी जोड़ा जा सकता है।

$$\text{बैकअप फंड अनुपात} = \frac{\text{भुनाने योग्य निवेश}}{\text{वार्षिक संचालन व्यय - क्षरण}} \times 365$$

अगर अनुपात बहुत ऊंचा है तो इसका ये मतलब हो सकता है कि हम किसी ऐसी आपात स्थिति के लिए सार्वजनिक राशियों को रोके हुए हैं जो शायद कभी नहीं आएगी। दूसरी तरफ, अगर अनुपात बहुत कम है तो इसका मतलब है कि मामूली सा झटका भी हमारी गतिविधियों को अस्त-व्यस्त कर देगा। लिहाजा, ज्यादातर एनजीओ संगठनों के लिए 60-90 दिनों का अनुपात ठीक रहता है। इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि यह सुविधा दिनों के नकद अनुपात के अलावा है।

कर्ज भुगतान क्षमता अनुपात

2008-09 में अमेरिका में आवासीय बाजार के धराशायी होने का मुख्य कारण यह था कि भुगतान क्षमता कम थी। जिन लोगों ने घर खरीदने के लिए कर्जे लिए थे उनके पास समय पर कर्जा चुकाने के लिए पर्याप्त आय नहीं थी। इससे संकटों का एक क्रम शुरू हुआ जिससे विश्व अर्थव्यवस्था अभी भी उबर नहीं पाई है।

सौभाग्यवश, ज्यादातर गैर-सरकारी संगठनों को यह समस्या नहीं झेलनी पड़ती क्योंकि बैंक आमतौर पर इन संगठनों को कर्जा नहीं देते। लेकिन कुछ संगठन, खासतौर से सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के संगठन कर्जा लेते हैं। क्या वे समय पर कर्जे चुका पाएंगे? कर्ज भुगतान क्षमता अनुपात से इस बात को समझने में मदद मिलती है।

$$\text{कर्ज भुगतान क्षमता अनुपात} = \frac{\text{अपनी निधिया}}{\text{कुल कर्जे}}$$

[1] लेखा योग 67 : निधियां, www.AccountAid.net

कुल कर्जों में बैंक से लिए गए कर्जे, प्रबंधन/कर्मचारी/मुख्य व्यक्ति से लिए गए कर्ज शामिल किए जाते हैं। अपने अनुदानों में मुख्य रूप से बंधनमुक्त अनुदान होते हैं। इनमें कॉर्पस निधि, आयवर्धक गतिविधियों से इकट्ठा किया गयाधन, सामान्य चंदे, मिश्रित आय आदि हो सकती हैं।

अगर किसी एनजीओ ने उतने से ज्यादा कर्ज लिए हैं जितना वह चुका सकता है तो क्या होगा? ऐसे में इस बात का खतरा पैदा हो जाता है कि परियोजनाओं का क्रियान्वयन टलने लगेगा और कर्जे चुकाने के लिए अनुदानों का इस्तेमाल करना पड़ेगा।

कुशलता अनुपात

अपनी नकदी स्थिति का पता लगा लेने के बाद एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। हमने सार्वजनिक और अनुदान दाता संस्थाओं से जो संसाधन जुटाए हैं उनका इस्तेमाल करने में हम कितने समर्थ हैं? कुशलता अनुपात से हम इस बात को कई कोणों से देख सकते हैं।

अनुदान सदुपयोग अनुपात

अपने मिशन के लिए उपलब्ध अनुदानों का प्रयोग करने की किसी एनजीओ का सामर्थ्य एक महत्वपूर्ण बात होती है। ज्यादातर अनुदान देने वाली संस्थाओं की यही चिंता रहती है कि एनजीओ कहीं उनके पैसे को इस्तेमाल करने की बजाय उसको दबाकर न बैठ जाए। सरकार ने भी एनजीओ संगठनों के खर्चों के आधार पर उनके लिए कर छूट योजनाएं तैयार की हैं।[2] इस अनुपात का सूत्र ये है:

$$\text{अनुदान सदुपयोग अनुपात} = \frac{\text{उपयोग किया गया धन}}{\text{प्राप्त धन}} \text{ X } 1000$$

अगर पावती और भुगतान लेखा उपलब्ध है तो इस अनुपात का हिसाब लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। आपको पावती वाले कॉलम में से उस साल प्राप्त अनुदानों को लेकर उनकी भुगतान वाले कॉलम में दिए गए अनुदानों से तुलना करनी है। याद रखें कि आपको स्थायी संपदाओं की खरीद को भी शामिल करना होगा। लेकिन इसमें गैर-कार्यक्रम संबंधी पेशगियों और कर्जों को प्रायः अलग रखा जाता है।

भारतीय संदर्भ में 2-3 साल की मियाद में यह अनुपात औसतन 85-100 प्रतिशत के आसपास होता है। किसी खास साल में यह अनुपात काफी नीचे या ऊपर भी जा सकता है। यह उतार-चढ़ाव इसलिए हो सकता है क्योंकि वित्त वर्ष के आखिर में कोई बड़ा अनुदान मिल गया हो तो उस पैसे को अगले वित्त वर्ष में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह अगर आपको पहले साल में ही कई सालों का अनुदान मिला है तो उस साल का अनुपात संतुलित नहीं होगा लेकिन आने वाले सालों में धीरे-धीरे बेहतर होता जाएगा।

[2] उदाहरण के लिए, भारत में यह छूट न्यूनतम व्यय शर्त को पूरा करने पर आधारित है जो कि फिलहाल आय का 85 प्रतिशत है लेकिन अगले साल 100 प्रतिशत तक भी जा सकती है। अमेरिका में एनजीओ संगठनों को कर से छूट की श्रेणी में रहने के लिए अपनी कुल संपदाओं का 5 प्रतिशत हर साल वितरित करना होता है।

मितव्ययता अनुपात

आमतौर पर यह माना जाता है कि लाभ निरपेक्ष संगठनों को अपने प्रशासकीय मदों में कम से कम खर्चा करना चाहिए। इस अनुपात से हमें पता चलता है कि कोई एनजीओ कुल व्यय की तुलना में प्रशासकीय मदों में कितना खर्चा करता है।

$$\text{मितव्ययता अनुपात} = \frac{\text{प्रशासकीय व्यय}\\ \text{कार्यालयी संपदाओं की खरीद}}{\text{कुल प्रयुक्त अनुदान}} \text{ X } 100$$

प्रशासनिक खर्चे क्या हैं? यह विषय काफी भ्रामक एवं वाद–विवाद को जन्म देने वाला है। मुख्य रूप से किराया, बिजली, स्टेशनरी, टेलीफोन, प्रशासकीय कर्मियों की तनख्वाह, लेखा विभाग, बोर्ड मीटिंगों, कार्यालयी ओवरहेड्स आदि को प्रशासकीय व्यय की श्रेणी में रखा जाता है। मुख्य अधिकारी की तनख्वाह का एक हिस्सा भी प्रशासकीय व्यय में गिना जाना चाहिए। संबंधित साल के दौरान प्रशासकीय या कार्यालयी इस्तेमाल के लिए जो संपदाएं खरीदी गई हैं उनको भी जोड़ा जाना चाहिए।

कुल प्रयुक्त अनुदानों में संगठन के सारे कार्यक्रम, प्रशासकीय, धन संग्रह आदि खर्चों को शामिल किया जाता है। संबंधित साल के दौरान दफ्तर के लिए या कार्यक्रम के प्रसंग में जो संपदाएं खरीदी गई हैं उनको भी इस श्रेणी में जोड़ा जाना चाहिए।

यह अनुपात कितना हो, ये एक और पेचीदा सवाल है। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रशासन किसको मानते हैं। अगर उपरोक्त सुझाव मान लिया जाए तो प्रशासकीय व्यय सामान्य रूप से 10-15 प्रतिशत रहेंगे। लेकिन अगर सारी तनख्वाहों (कार्यक्रम कर्मियों की तनख्वाह सहित) को प्रशासकीय खर्चों में मान लिया जाए तो यह अनुपात बहुत सारे मामलों में 60-75 प्रतिशत तक भी जा सकता है। यह बात जागरूकता या एडवोकेसी कार्यक्रमों में लगे गैर-सरकारी संगठनों के मामले में खासतौर से सही साबित होता है क्योंकि उन्हें आमतौर पर बहुत सारे कर्मचारियों की जरूरत होती है। एफसीआरए विधेयक, 2010 में यह सीमा 50 प्रतिशत तय कर दी गई है।

कार्यक्रम व्यय अनुपात

यह मितव्ययता अनुपात का दूसरा पक्ष है। इससे हमें पता चलता है कि कार्यक्रम गतिविधियों पर खर्च हुए अनुदानों का अनुपात कितना है।

$$\text{कार्यक्रम व्यय अनुपात} = \frac{\text{प्रत्यक्ष कार्यक्रम व्यय.}\\ \text{कार्यक्रम संपदाओं का क्रय}}{\text{कुल प्रयुक्त अनुदान}} \text{ X } 100$$

प्रत्यक्ष कार्यक्रम व्यय ऐसे व्यय होते हैं जो किसी खास कार्यक्रम/गतिविधि से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। कार्यक्रमों में इस्तेमाल के लिए या समुदाय में वितरण के लिए खरीदी गई संपदाओं को भी इस श्रेणी में जोड़ा जाना चाहिए।

accountable-subscribe@topica.com

यह अनुपात आमतौर पर क्रियान्वयन एनजीओ संगठनों के लिए 80-90 प्रतिशत के बीच होता है। अगर एनजीओ जनता से भी पैसा इकट्ठा करता है तो धन संग्रह लागतों की वजह से यह अनुपात कम भी हो जाता है।

कार्मिक लागत अनुपात

इस अनुपात से हमें ये पता चलता है कि किसी संगठन के कामों के लिए मानव संसाधन कितने महत्वपूर्ण हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कोई संगठन अपनी कुल लागतों के मुकाबले अपने कर्मचारियों पर कितना खर्चाकर रहा है।

$$\text{कार्मिक लागत अनुपात} = \frac{\text{कार्मिक लागत}}{\text{कुल लागत}} \times 100$$

कार्मिक लागत में कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन और लाभ आते हैं। इन लाभों में कर्मचारियों को दिए गए भत्ते या अन्य सुविधाएं भी शामिल होती हैं। कुछ मामलों में अनुबंध पर रखे गए कर्मचारियों को कंसल्टेंट के रूप में भी देखा जाता है। वॉलंटियर्स (स्वयं सेवक) के खर्चे/शुल्क के अलावा इन कंसल्टेंट्स के शुल्क को भी कार्मिक लाभों में गिना जाना चाहिए।

यह अनुपात कितना होना चाहिए? इसका कोई सीधा उत्तर नहीं होता। यह अनुपात इस बात पर निर्भर करता है कि कोई संगठन किस तरह का कार्यक्रम चला रहा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई एनजीओ एनएफई स्कूल चला रहा हैतो वह अपने शिक्षकों और कार्यक्रम कर्मियों की तनख्वाहों पर 80 प्रतिशत तक खर्चा कर सकता है। यही बात शोध या एडवोकेसी संगठनों के मामले में होती है जो अपना 40-50 प्रतिशत खर्चा तनख्वाहों पर कर सकते हैं। दूसरी तरफ, अगर कोई एनजीओ समुदाय में हैंडपम्प लगवा रहा है तो उसकी कार्मिक लागत महज 10-20 प्रतिशत भी हो सकती है। वास्तविक जीवन में ज्यादातर एनजीओ एक साथ कई तरह की गतिविधियां चलाते हैं। ऐसे में इस अनुपात के लिए कोई तय मानक बताना मुश्किल रहता है।

लेखा योग क्या है:

'लेखा-योग' के प्रत्येक अंक में एनजीओ नियमन या लेखांकन से संबंधित किसी खास मुद्दे को उठाया जाता है और इसे लगभग 1500 गैर-सरकारी संगठनों, एजेंसियों और ऑडिट कंपनियों को भेजा जाता है। अगर कार्यशालाओं या एनजीओ न्यूजलैटर्स में गैर-व्यावसायिक कामों के लिए 'लेखा-योग' का पुनर्प्रकाशन या वितरण किया जाता है तो अकाउंटएड को कोई एतराज नहीं है बशर्ते आप इस बात का उल्लेख कर दें कि आपने यह सामग्री 'लेखा-योग' से ली है।

अंगेजी में लेखा-योग:

लेखा-योग अंग्रेजी में 'अकाउंटेबल' के नाम से उपलब्ध है।

इंटरनेट पर लेखा-योग:

'लेखा-योग' के कुछ चुने हुए अंक हमारी वेबसाइट - **www.AccountAid.net.** पर उपलब्ध हैं। लेखायोग के नए अंकों की अपलोडिंग के बारे में ई-मेल से जानकारी हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जा कर रजिस्टर कर सकते हैं।

अकाउंटएड कैप्सूल:

इसमें एनजीओ लेखांकन और इससे जुड़े मुद्दों से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। इसकी सदस्यता लेने के लिए हमारी वेबसाइट पर जा कर रजिस्टर कर सकते हैं।

सवाल और स्पष्टीकरण?

अकाउंटएड एनजीओ लेखांकन या वित्तीय नियमन से जुड़े सवालों पर गैर-सरकारी संगठनों और उनके ऑडिटर्स को सलाह देता है। आप भी अपने सवाल ई-मेल या खत के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो फोन पर भी हमसे बात कर सकते हैं।

टिप्पणियां:

आप अपनी टिप्पणियां और सुझाव अकाउंटएड इंडिया, 55 बी, पॉकेट सी, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110014 पर भेज सकते हैं।
हमारा फोन नंबर है 011-26343128; /फैक्स : 011-26343852
ई-मेल: **query@accountaid.net**

© अकाउंटएड इंडिया विक्रम संवत २०६७ पौष, ईस्वी सन् दिसंबर 2010.
कु. पल्लवी सहगल द्वारा अकाउंटएड इंडिया, नई दिल्ली, फोन 26343128 के लिए मुद्रित एवं प्रकाशित तथा प्रिंटवर्क्स, नई दिल्ली से मुद्रित।

लेख: श्री संजय अग्रवाल; अनुवाद: श्री योगेन्द्र दत्त
डिज़ाइन: श्रीमती मोऊशुमी डे
केवल निजी प्रसार के लिए।

accountaid@gmail.com